झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्लू. पी. (सी.) संख्या 09/2021

लुकन साव..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव-सह-अध्यक्ष, विद्युत बोर्ड, झारखंड
3. उपायुक्त, हजारीबाग
4. अनुमंडलीय अधिकारी, बरही, जिला-हजारीबाग
5. अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति सर्कल बोर्ड, हजारीबाग
6. सहायक अभियंता, विद्युत बोर्ड, बरही, जिला-हजारीबाग
7. प्रभारी अधिकारी, चौपारन, जिला-हजारीबाग
8. प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL), जिनका कार्यालय एच.ई.सी. कैंपस, पोस्ट एवं थाना-धुर्वा, रांची में है

… ... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:-कोई नहीं

राज्य के लिए:-सुश्री प्रियंका बॉबी, जी.ए.-1 का ए.सी.

जे.यू.वी.एन.एल. के लिए:-श्री मनोज कुमार, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल-(जे.यू.वी.एन.एल.)

आदेश संख्या 05 **दिनांक: 27.07.2021**

वर्तमान मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया है।

2. 'प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL), जिनका कार्यालय एच.ई.सी. कैंपस, पोस्ट एवं थाना-धुर्वा, रांची में है, को वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में रखा जाए।

3. कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कार्यालय को रिट याचिका के कारण शीर्षक, जैसे कि ऊपर कहा गया है, में आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

4. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के दिनांक 30.08.2020 के अभ्यावेदन को निपटाने के लिए संबंधित उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसे झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) की लागू नीति/योजना के

अनुसार दिनांक 29.08.2020 को बिजली के झटके के कारण अपने बेटे की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए दायर किया गया है।

5. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके बेटे शंभू कुमार साव ने अपने मवेशियों को ग्राम पूर्णडीह (बहेरा) पीओ-लोहड़ी, पीएस-चौपारन, जिला-हजारीबाग में चरने के लिए एक खेत में ले गए थे और जब वह एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तो उन्हें बिजली का झटका मिला क्योंकि 33 केवी बिजली का तार उक्त पेड़ से गुजर रहा था। बिजली का झटका प्राप्त करने के बाद, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौपारन ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जे.वी.एन.एल. के अधिकारियो की लापरवाही के कारण गलती से पेड़ के पास दुर्बिघटनावश बिजली का झटका मिला, क्योंकि 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन खतरनाक रूप से उक्त पेड़ के करीब थी, जिसे उक्त अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने दिनांक 30.08.2020 के अभ्यावेदन के माध्यम से जे.यू.वी.एन.एल. को JUVNL के अधिकारी के समक्ष दिया है, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसने याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में कोई राय व्यक्त किए बिना, याचिकाकर्ता को वर्तमान मुद्दे पर प्रतिवादी सं. 8 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी सं. 8, याचिकाकर्ता/उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और जांच (यदि आवश्यक हो) करने के बाद, लागू योजना/नीति के अनुसार याचिकाकर्ता को मुआवजे के भुगतान के बिंदु पर उक्त अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक उचित सूचित निर्णय लेगा।

7. रिट याचिका को तदनुसार पूर्वोक्त स्वतंत्रता और दिशा के साथ निपटाया जाता है।

राजेश शंकर, नयाय0

रितेश